जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक / एफ / प्रशा / स्था / 2023 / 7517 दिनांक 12/10/2023

// सूचना //

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, ग्वालियर से प्राप्त पत्र क्रमांक वि.स.निर्वा / 33 / 2023 / 2356 दिनांक 09.10.2023 द्वारा विधान सभा आम निर्वाचन 2023–निर्वाचन निर्देश शासकीय कर्मचारियों से अपेक्षित आचरण के संबंध में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विहित आदर्श आचरण संहिता के तहत शासकीय कर्मचारियों के लिए दिये गये निर्देश का उद्धरण निम्नानुसार प्रेषित है :–

1. शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। यह आवश्यक है, कि वह किसी को यह महसूस न होनें दे कि, वे निष्पक्ष नहीं है। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे ऐसी शंका भी हो सके कि वह किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं। संक्षेप में शासकीय कर्मचारियों को किसी भी प्रकार चुनाव प्रचार या अभियान में भाग नहीं लेना चाहिए तथा उन्हें यह देखना चाहिए कि उनकी सरकार में हैसियत या अधिकारी का लाभ कोई दल या उम्मीदवार न ले सके। निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी के लिए कार्य करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम अनुसार 1951 की धारा–129 एवं 134 क की ओर विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार निर्वचनों अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। सबंधित धाराओं के उद्धरण परिशिष्ट में दिये गये हैं।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा –28(क) के अधीन नियमों के संचालन के लिए नियोजित समस्त अधिकारी / कर्मचारी तथा राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित पुलिस अधिकारी निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जायेंगे और उस समय तक निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे।

3. निर्वाचनो से सशक्त पदीय कर्तव्य को यशोचित तरीके से जिम्मेदारी पूर्वक करना विधि द्वारा अपेक्षित कर्तव्य है। जिसकी अवहेल्ना शासकीय सेवक को दण्ड का पात्र बनाती है। इस विषय में आपका ध्यान विशेष रूप से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा –134 की ओर आकर्षित किया जाता है।

शासकीय सेवकों का यह दायित्व है, कि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें एवं अपने आचरण एवं व्यवहार में पूर्ण निष्पक्षता बरतें। किसी प्रकार की शंका पर अपने वरिष्ठ अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त करें।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / समन्वयक / निदेशक / अधिकारी / कर्मचारी जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. सहा–कुलसचिव (प्रशासन) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलपति जी के सचिव जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय ।

सहा–कुलसचिव (प्रशा0)